

49

तकनीकी जांच के उपरान्त उपापन समिति द्वारा यह पाया गया है कि उक्त सभी फर्मों को अलग-अलग कार्यों में दक्षता है परन्तु निविदा में उल्लेखित कार्यों हेतु सभी फर्म तकनीकी रूप से निविदा उल्लेखित कार्यों को समेकित रूप (Consolidate) सम्पादित करने में सक्षम प्रतीत नहीं होती है।

56

अतः उपापन समिति की राय अनुसार पूर्ण निविदा को निरस्त किया जाना तथा सभी कार्यों के लिए पृथक-पृथक निविदा किया जाना प्रस्तावित है।

~~विनोद पुरोहित~~
उपनिदेशक (प्रशा.)

~~नवीन प्रताप सिंह~~
लेखाधिकारी

~~एस.के. अग्रवाल~~
प्रोफेसर

प्रतिता
29/06/20
डॉ. अनिता
प्रोफेसर

29/06/20
अर्जुन राम चौधरी
अतिरिक्त निदेशक

(51)

Submitted for kind perusal & approval pl.

29/06/20

Director/ICPRS
3/7

03/07/20

A.D. Office
No. 28/20
PSIPA

Assistant Director (A)

नि.स./नि.क्राविस/98
No. 585/20
03/07/20

3/7/20